TATA

TATA POWER

THE TATA POWER COMPANY LIMITED,

Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400 001, India, Tel: (91 22) 6665 8282, Fax: (91 22) 6665 8801 Website: www.tatapower.com CIN: L28920MH1919PLC000567

PUBLIC NOTICE

Notice inviting suggestions/objections/comments on the Application filed by The Tata Power Company Limited for grant of Distribution Licence for the geographically connected area comprising of Raipur, Dharsiwa, Mandir Hasoud and Abhanpur Tehsils of Raipur district.

Notice is hereby given by The Tata Power Company Limited that it has applied to the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Raipur for grant of a licence for distribution of electricity in the area mentioned below under the provisions of Section 14 and 15 of the Electricity Act, 2003 read with the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Licence) Regulations, 2004.

Description of Area of Supply: Raipur, Dharsiwa, Mandir Hasoud and Abhanpur Tehsils of Raipur district in the State of Chhattisgarh.

The aforesaid Petition has been registered as Petition No. 89 of 2026 by the Commission.

The application along with its enclosures and Orders of the Commission will be available for inspection at:

(i) **Office of the applicant at:**
TP-Power Plus Limited, A-42, Sector 2, Kamal Vihar,
Raipur, Chhattisgarh, Pin- 492 001

and

(ii) **Office of the Commission at:**
Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur (Chhattisgarh)- 492 001

The application along with its enclosures can also be downloaded from the website of the Commission **www.cserc.gov.in** and also from the website of the Tata Power Company Limited **www.tatapower.com**.

Copies of the application along with its enclosures can also be obtained on payment of Rs. 500/- in cash or other electronic mode and Demand draft from the office of the Commission or from the office of the petitioner M/s Tata Power Company Limited either in person or by post on any working day between 10:00 AM to 5:30 PM.

Any Local Authority, Utility, person having any suggestion/objection/ reply to the application may send such suggestion/objection/reply in six copies along with the supporting affidavit by a letter to the Secretary of the Commission in the form of a reply as per the provisions of Clause 14 and 15 or Chapter II of the CSERC (Conduct of Business) Regulations, 2009 and the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Licence) Regulations, 2004, so as to reach the office of the Commission within thirty days of publication of this notice and send a copy of his suggestion/objection/reply to the applicant at **suggestions-public@tatapower.com**.

Any Local Authority, utility or person who desires to have an amendment made in the proposed conditions of licence shall deliver a statement of amendment to the Secretary of the Commission at **cserc.sec@cg.nic.in** and also to the applicant within thirty days of publication of this notice.

The objector should clearly state his name and address, Mobile No. and Email ID and grounds of his objection/ suggestion.

The objector should also clearly mention whether he would like to be heard in person by the Commission.

Public hearing will be conducted **on 01.10.2026 at 11:30 AM,** in the office of the Commission.

For and on behalf of Tata Power Company Limited

Size : 8cm(W) 14cm(H)

TATA

TATA POWER

दी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड

बॉम्बे हाउस, 24, होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई 400 001. दूरभाषः 91 22 66658282, फैक्स : 91 22 66658801, वेबसाइटः www.tatapower.com सीआईएन (CIN): L28920MH1919PLC000567,

आम सूचना

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत याचिका पर रायपुर जिले के रायपुर, धरसींवा, मंदिर हसौद एवं अभनपुर तहसीलों से मिलकर बने भौगोलिक रूप से संबद्ध क्षेत्र के लिए विद्युत वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर सुझाव/आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 एवं 15 तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत नीचे वर्णित क्षेत्र में विद्युत वितरण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

विद्युत आपूर्ति क्षेत्र का विवरणः छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की रायपुर, धरसींवा, मंदिर हसौद एवं अभनपुर तहसीलें।

उक्त याचिका को आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 89 ऑफ 2026 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

आवेदन, उसके संलग्नक तथा आयोग के आदेशों का निरीक्षण निम्नलिखित स्थानों पर किया जा सकता हैः

(i) **आवेदक के कार्यालय में:** TP Power Plus Limited, A–42, सेक्टर–2, कमल विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन–492001

तथा

(ii) **आयोग के कार्यालय में:** छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)–492001

आवेदन एवं उसके संलग्नकों को आयोग की वेबसाइट **www.cserc.gov.in** तथा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट **www.tatapower.com** से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन एवं उसके संलग्नकों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय अथवा याचिकाकर्ता, मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के कार्यालय से, व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा, किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक ₹500/– नगद अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके अथवा डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती हैं।

कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, यूटिलिटी अथवा कोई व्यक्ति, जिसे उक्त आवेदन के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति/उत्तर प्रस्तुत करना चाहता हो, तो वह अपने सुझाव/आपत्ति/उत्तर की छः प्रतियाँ, समर्थित शपथ–पत्र सहित, आयोग के सचिव को संबोधित पत्र के माध्यम से, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के अध्याय–II के खंड 14 एवं 15 तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ती) विनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत कर सकता है। उक्त सुझाव/आपत्ति/उत्तर इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। साथ ही, अपने सुझाव/आपत्ति/उत्तर की एक प्रति आवेदक को ईमेलः **suggestions-public@tatapower.com** पर भेजना आवश्यक होगा।

कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, यूटिलिटी अथवा व्यक्ति, जो प्रस्तावित अनुज्ञप्ति की शर्तों में कोई संशोधन किए जाने की अपेक्षा रखता है, वह संशोधन का विवरण इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आयोग के सचिव को ई–मेलः **cserc.sec@cg.nic.in** तथा आवेदक को भी प्रस्तुत करेगा।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपना नाम एवं पता, मोबाइल नंबर तथा ई–मेल आईडी और अपनी आपत्ति/सुझाव के आधार स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए जाने चाहिए।

आपत्तिकर्ता द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि वह आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है अथवा नहीं।

जनसुनवाई दिनांक **01.10.2026 को प्रातः 11:30 बजे** आयोग के कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से

Size : 8cm(W) 14cm(H)